इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2017—वैशाख 4, शक 1939

IndiaCode

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

अधि. क्र. 11/एफ 1-4-2017/अठारह-3.—

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम,2014 (2014 का 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में पथ विक्रय से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7);

(ख) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम की दशा में, नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 5 की

उप–धारा (11) में यथा परिभाषित नगरपालिक निगम आयुक्त तथा नगरपालिका या नगर परिषद की दशा में, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित मुख्य नगरपालिका अधिकारी ;

(ग) **"कलक्टर"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिले का कलक्टर तथा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 11 में यथा विहित कलक्टर ;

(घ) **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त ;

(ङ) **"संभागीय राजस्व आयुक्त"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संभागीय राजस्व आयुक्त तथा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 11 में यथा विहित संभागीय राजस्व आयुक्त ;

(च) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(छ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश के माध्यम से कार्यरत मध्यप्रदेश सरकार ;

(ज) **"शिकायत निवारण समिति"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (1) के अधीन शिकायतों के निवारण अथवा विवादों के समाधान हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा गठित समिति ;

(झ) **"मेयर"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 6 में यथा परिभाषित मेयर ;

(ञ) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 में यथा परिभाषित अध्यक्ष ;

(ट) **"नगरीय स्थानीय प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित नगरपालिक निगम तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित नगरपालिका और नगर परिषद।

(3) समस्त अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. **पथ विक्रय के लिए न्यूनतम आयु.**—पथ विक्रय हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।

4. **शिकायत निवारण समिति का गठन.**—

(1) आयुक्त, पथ विक्रेता की शिकायतों के निवारण अथवा विवादों के समाधान के लिए प्रत्येक राजस्व संभाग स्तर पर, एक शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा। आयुक्त, यदि आवश्यक हो तो, एक से अधिक राजस्व आयुक्त कार्यालयों के लिए एक समिति गठित कर सकेगा।

(2) आयुक्त, शिकायत निवारण समिति के क्षेत्राधिकार का क्षेत्र तथा मुख्यालय विनिश्चित करेगा।

(3) आयुक्त, पथ विक्रेता की शिकायतों के निवारण या विवादों के समाधान के प्रयोजन के लिए दक्षता को ध्यान में रखते हुए उचित रीति में शिकायत निवारण समिति के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(4) समिति नीचे विहित किए गए अनुसार न्यूनतम तीन सदस्यों से मिलकर गठित की जाएगी:—

(एक) व्यक्ति, जो व्यवहार न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट रहा हो —अध्यक्ष

(दो) व्यक्ति, जो नगरपालिक निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी रहा हो —सदस्य

(तीन) व्यक्ति, जो शहरी गरीबों के लिए कार्य करने वाला ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता हो —सदस्य:

परन्तु सरकार या नगरीय स्थानीय प्राधिकरण का कोई कर्मचारी समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(5) शिकायत निवारण समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(6) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ऐसा पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा जैसा कि आयुक्त द्वारा समय–समय पर, विनिश्चित किया जाए।

5. **शिकायत निवारण समिति को आवेदन करने का प्ररूप एवं रीति.**—

(1) कोई पथ विक्रेता, जिसको इस अधिनियम (अधिनियम की धारा 11 के सिवाय) या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में कोई शिकायत अथवा विवाद है, तो वह शिकायत निवारण समिति को या तो स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में प्ररूप–एक में आवेदन कर सकेगा।

(2) पथ विक्रेता द्वारा ऐसा आवेदन, शिकायत अथवा विवाद कारित करने वाली किसी घटना के घटित होने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) शिकायत निवारण समिति ऐसे किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगी जहां,–

(क) आवेदन अनाम है अथवा उसमें सामान्य और अस्पष्ट अभिकथन अंतर्विष्ट हैं;

(ख) मामला किसी विधि के न्यायालय, अधिकरण में अथवा न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन है ;

(ग) मामला अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से परे है ;

(घ) आवेदक को आवेदन दाखिल करने के लिए कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है; और

(ङ) समय वाधित आवेदन।

6. **शिकायत निवारण समिति द्वारा सुनवाई की रीति.–**

(1) नियम 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, शिकायत निवारण समिति, आवेदक के साथ यह अवधारित करने के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई आयोजित करेगी कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा क्या सुविधा की दृष्टि से आवेदक के पक्ष में है। पथ विक्रेता, ऐसे आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के लिए भी प्रार्थना कर सकेगा।

(2) प्रारंभिक सुनवाई का परिणाम सुनवाई के अंत में घोषित किया जाएगा तथा लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और आवेदक को संसूचित किया जाएगा। शिकायत निवारण समिति, पथ विक्रेता द्वारा चाही गई अंतरिम राहत को, यदि कोई है, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, मंजूर कर सकेगा या इंकार कर सकेगा।

(3) जहां शिकायत निवारण समिति द्वारा यह धारित किया जाता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो नगरीय स्थानीय प्राधिकरण को शिकायत अथवा विवाद के विवरण को समाविष्ट करते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा।

(4) ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण, नोटिस में दर्शित कालावधि के भीतर जवाब दाखिल करेगा और जवाब की एक प्रति पथ विक्रेता को भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

(5) पथ विक्रेता, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित उत्तर की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिउत्तर दाखिल कर सकेगा।

IndiaCode

(6) शिकायत निवारण समिति, आवेदक अथवा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के संबंध में एवं उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख के संदर्भ में अपने किसी एक सदस्य को अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके क्षेत्र परीक्षण के लिए आदेश दे सकेगा।

(7) शिकायत निवारण समिति, दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उस तारीख से जिसको कि दोनों पक्षों की सुनवाई समाप्त हुई है, से एक माह की अवधि के भीतर विनिश्चय करने के कारणों सहित, लिखित में आदेश पारित करेगी।

(8) शिकायत निवारण समिति का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होगा जब तक कि नियम 16 में यथाविहित अपील प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई हो, द्वारा रोका नहीं गया हो।

7. **नगर विक्रय समिति का गठन.–**

(1) प्रत्येक नगरीय स्थानीय प्राधिकरण, नगर विक्रय समिति का गठन करेगा, परंतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, यदि आवश्यक है तो एक से अधिक नगर विक्रय समिति अथवा अपने नगरीय स्थानीय प्राधिकरण में प्रत्येक जोन के लिए एक नगर विक्रय समिति गठित कर सकेगा।

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी निम्नानुसार नगर विक्रय समिति गठित करेगा,–

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर विक्रय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सलाहकार;

(ग) दो अधिकारी, अर्थात्, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट पथ विक्रेता बाजार से संबंधित कार्य संपादन करने वाला प्रभारी अधिकारी तथा स्वास्थ्य अधिकारी ;

(घ) नगरपालिक निगम की दशा में यातायात पुलिस तथा पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के दो सदस्य तथा नगरपालिका और नगर परिषद् की दशा में नगर निरीक्षक/थाना प्रभारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक सदस्य, जो उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) बाजार संघ/व्यापारी संघ या ऐसे किसी अन्य संघ से एक सदस्य जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे संघों की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधीन जिसकी क्षेत्राधिकारिता में संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय आता है द्वारा नामनिर्दिष्ट,

IndiaCode

नगरपालिक निगम की दशा में, सहायक संचालक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी या नगरपालिका और नगर परिषद् की दशा में कोई अन्य नगर निवेश अधिकारी;

(छ) नगर विक्रय समिति के 10 या कुल सदस्यों का 40 प्रतिशत जो भी ज्यादा हो, पथ विक्रेताओं द्वारा स्वयं इन नियमों से संलग्न अनुसूची में उपबंधित रीति में निर्वाचित किए जाएंगे :

परंतु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे :

परंतु यह और कि जिले में प्रचलित आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को भी सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;

(ज) निवासी कल्याण संघ से, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(झ) क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठन से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य;

(ञ) जिले के लीड बैंक प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बैंकिंग क्षेत्र से एक सदस्य;

(ट) नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ/किसी व्यक्ति/संगठन/संघ /कंपनी को उसकी सलाह/सहायता प्राप्त करने के लिए एक विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगा। अध्यक्ष द्वारा पथ विक्रेता/बाजार से संबंध रखने वाला प्रभारी अधिकारी या अन्य अधिकारी को सदस्य सचिव के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) नगर विक्रय समिति की अवधि, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की अवधि के समतुल्य होगी।

(4) अध्यक्ष एवं सदस्य, नगर विक्रय समिति में सेवा हेतु किसी भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। विशेषज्ञ/विशेष सदस्य जिसे सहायता/परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया हो, ऐसे भत्ते का हकदार होगा जैसा कि आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जाए।

IndiaCode

(5) पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर पूरी की जाएगी। मध्यवर्ती कालावधि के दौरान नगर विक्रय समिति अपने कार्य और क्रियाकलापों को संपन्न करने से संबंधित निम्नलिखित समस्त नियमों का अनुसरण करते हुए प्रावधिक रूप से कार्य करेगी।

8. **नगर विक्रय समिति के सदस्य को हटाना.–**

यदि नगर विक्रय समिति की राय में, नगर विक्रय समिति का कोई सदस्य, अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन उसको प्रदत्त कर्तव्यों के अनुपालन में लगातार व्यतिक्रम करता है अथवा अपने अधिकारों का उल्लंघन अथवा दुरुपयोग करता है तो नगर विक्रय समिति, सामान्य बहुमत से समिति के ऐसे सदस्य को हटाने का विनिश्चय कर सकेगी :

परंतु ऐसे सदस्य को हटाए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

9. **रिक्ति भरने की विधि.–**

जहां त्यागपत्र, मृत्यु या किसी सदस्य के हटाए जाने या किसी अन्य कारण से विद्यमान नगर विक्रय समिति में रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इन नियमों में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

10. **नगर विक्रय समिति का विघटन.–**

यदि आयुक्त की राय में, नगर विक्रय समिति, अधिनियम तथा इन नियमों के द्वारा/अथवा उनके अधीन उसको अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन में निरंतर कठिनाई उत्पन्न करती है अथवा अपने अधिकारों का उल्लंघन या दुरूपयोग करती है, तो आयुक्त, आदेश द्वारा, ऐसी नगर विक्रय समिति को विघटित कर सकेगा और नवीन नगर विक्रय समिति के गठन हेतु आदेश दे सकेगा।

11. **नगर विक्रय समिति की बैठक की प्रक्रिया.–**

(1) नगर विक्रय समिति अपनी प्रथम बैठक में, अपने कारबार के संचालन के संबंध में विभिन्न प्रक्रियागत पहलुओं का विनिश्चिय करेगी।

IndiaCode

(2) नगर विक्रय समिति की बैठक छह माह में कम से कम एक बार आयोजित होगी, परंतु जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी:

परंतु किन्ही दो निरंतर बैठकों के बीच नौ माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

(3) नगर विक्रय समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, उसके कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से होगी।

(4) बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(5) सदस्य सचिव, नियत बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व बैठक की कार्यसूची सहित सूचना पत्र जारी करेगा :

परंतु यदि आवश्यक हो, अध्यक्ष से सम्यक् अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् संक्षिप्त सूचना में बैठक बुलाई जा सकेगी।

(6) बैठक में विचार–विमर्श किए जाने वाली मदों की कार्यसूची, सदस्यों को परिचालित और अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रत्येक कार्यसूची मद के साथ, प्रशासन द्वारा की गई स्पष्ट अनुशंसाओं के साथ, यदि कोई है, अंतर्निहित विषयों को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टीप संलग्न की जाएगी।

(7) बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(8) गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक नहीं होगी तथा जहां गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

(9) बैठक के कार्यवृत्त, अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और उन्हें समिति की पश्चात्वर्ती बैठक में पुष्टि हेतु रखा जाएगा ।

(10) बैठक के कार्यवृत्त, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ।

(11) नवीन गठित नगरीय विक्रय समिति की प्रथम बैठक, उसके गठन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर नियत की जाएगी।

12. नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रास्थिति पत्र एवं पथ विक्रय परिदृश्य प्रस्तुत किया जाएगा.–

नगर विक्रय समिति द्वारा प्रक्रियागत ब्यौरे को अंतिम रूप देने के पश्चात् तथा उसके नियमित कारबार होने से पूर्व, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित ब्यौरे समाविष्ट करते हुए समिति के सदस्यों के बीच शहर अथवा नगर में पथ विक्रय परिदृश्य का प्रास्थिति–पत्र वितरित करेगी, अर्थात् :–

(1) शहर या नगर में पथ विक्रय क्षेत्रों का नक्शे में उपदर्शन;

(2) शहर या नगर में जहां पहले से सर्वेक्षण किया जा चुका है, पथ विक्रेताओं की संख्या, अन्यथा संभावित संख्या के बारे में संकेत दिये जा सकते है ;

(3) पथ विक्रय दृष्टिकोण से उच्च पदचाप क्षेत्रों, क्षीण पदचाप क्षेत्रों तथा मध्य श्रेणी क्षेत्रों के बारे में सूचना ;

(4) मौसमी पथ विक्रय क्षेत्रों, आला बाजार क्षेत्रों, रात्रि बाजार क्षेत्रों, विकासाधीन क्षेत्रों में सभाव्य उच्च पदचाप स्थान ;

(5) विक्रय किए जाने वाले सामानों की वृहत श्रेणी ;

(6) यातायात के दृष्टिकोण से समस्या क्षेत्र ;

(7) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करना ;

(8) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की परिगणना जिसका ध्यान पथ विक्रेताओं द्वारा रखा जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण.–यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि प्रस्तुत किए गए आंकड़े यथासंभव, प्रमाणिक और अद्यतन हों। यह वस्तुतः बेसलाईन डाटा से होगा जो समिति को निर्णय लेने में सहायक होगा। यदि समिति द्वारा ऐसा चाहा जाए तो यह डाटाबेस डिजिटल प्ररूप में प्रस्तुत किया जा सकता है; और

(9) पथ विक्रय परिदृश्य इत्यादि से संबंधित कोई अन्य सुसंगत मामला।

13. **नगर विक्रय समिति के कृत्य.**– अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगर विक्रय समिति, निम्नलिखित कृत्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :–

(1) अपनी क्षेत्राधिकारिता के क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र में पथ विक्रेताओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना तथा अपनी क्षेत्राधिकारिता के भीतर मापदण्डों, योजना तथा धारण क्षमता के अनुसार उनका स्थान सुनिश्चित करना ;

(2) जहां समिति, व्यक्तिगत विक्रेता को आवंटित किए जाने वाले परिक्षेत्र या क्षेत्र को बदलना आवश्यक समझती है तो वह नगरीय स्थानीय प्राधिकरण का, योजना को युक्तियुक्त रूप से परिवर्तित करने की ओर ध्यान आकर्षित कर सकेगी। नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की राय प्राप्त करने के पश्चात्, समिति उस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी ;

(3) समिति, विक्रय परिक्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुशंसा और सुझाव देते समय, संबंधित क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात आवागमन और पैदल यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखेगी ;

(4) किसी पात्र पथ विक्रेता को इन नियमों/स्कीमों में यथा विनिर्दिष्ट उन शर्तों तथा निर्बंधन के पालन करने के लिए जिसके अधीन विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उससे वचन पत्र प्राप्त करने के पश्चात्, पथ विक्रय का प्रमाण–पत्र जारी तथा नवीनीकरण करना ;

(5) उन पथ विक्रेताओं के प्रमाण–पत्र को रोकना, निरस्त करना या निलंबित करना, जो उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करते हों या अधिनियम या इन नियमों या अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन पथ विक्रय विनियमित करने के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबंधनों का उल्लंघन करता है अथवा जहां नगर विक्रय समिति का यह समाधान हो जाता है कि पथ विक्रय का ऐसा प्रमाण–पत्र, विक्रेता द्वारा गलत प्रस्तुतीकरण अथवा धोखे से प्राप्त किया गया है ;

(6) नगरीय स्थानीय प्राधिकरण को अपनी क्षेत्राधिकारिता में किसी क्षेत्र को गैर विक्रय क्षेत्र घोषित करने के लिए अनुशंसा करना ;

(7) विक्रय तथा फेरी (हॉकिंग) के लिए स्थलों और क्षेत्रों की पहचान करना ;

(8) लोक स्थानों में भीड़–भाड़ न हो, सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रय हेतु समय विनियमित करना ;

(9) पथ विक्रेता द्वारा अवज्ञा के विरुद्ध सुधारात्मक तंत्र प्रवर्तन सुनिश्चित करना ;

(10) विवाद समाधान समिति तथा स्थानीय नगरीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित विवाद के मामलों का अनुसरण करना ;

(11) पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को प्रोन्नत करने के लिए योजना तैयार करने के संबंध में नगरीय स्थानीय प्राधिकरण को अनुशंसाएं प्रस्तुत करना ;

(12) पथ विक्रेता के चार्टर को, उसमें उस समय को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसके भीतर पथ विक्रेता को विक्रय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा वह समय जिसके भीतर विक्रय का ऐसा प्रमाण पत्र नवीनीकरण कर दिया जाएगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निष्पादित की जाने वाली अन्य गतिविधियां प्रकाशित करना ;

(13) पंजीकृत पथ विक्रेताओं तथा उन पथ विक्रेताओं के जिनको अधिनियम तथा स्कीम में यथा विहित नियमों के उपबंधों के अनुसार विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, अभिलेखों का संधारण करना ;

(14) अधिनियम अथवा इन नियमों अथवा उनके अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन उसकी गतिविधियों का सामाजिक संपरीक्षण संपादित करना ;

(15) समय–समय पर, आयुक्त तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करना जैसे अधिनियम, इन नियमों तथा स्कीम में विहित किए जाएं;

(16) पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध साख, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण योजनाएं बनाने के प्रगतिकारक उपायों को क्रियान्वित करने के लिए आयुक्त को टिप्पणी प्रस्तुत करना ;

(17) अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं की भूमिका के प्रति लोगों के मध्य चेतना बढ़ाना ;

(18) नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की अनुशंसा पर, प्राकृतिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, परंपरागत बाजार, त्यौहारी बाजार, मौसमी बाजार, रात्रि बाजार तथा आला बाजार उनकी वास्तविक अवस्थिति सहित तथा मौसमी बाजार अथवा त्यौहारी बाजार की दशा में विनिर्दिष्ट कालावधि घोषित करना। जहां ऐसे नवीन बाजार विकसित हो रहे हैं, समिति, उस क्षेत्र और ऐसे अन्य पहलुओं का जैसा वह उचित समझे, आवश्यक सर्वेक्षण कराएगी तथा परिस्थितियों के आधार पर, उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में से किसी एक बाजार का स्थान घोषित करना ;

(19) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगरीय स्थानीय प्राधिकरण अथवा आयुक्त द्वारा यथा समनुदेशित अन्य कृत्यों को करना ;

14. **समिति का कार्यालय एवं कर्मचारी.–**

(1) नगर विक्रय समिति का अपना स्थाई कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर विक्रय समिति द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उसके व्यय पर पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा। परंतु समिति द्वारा स्थापना लागत के मद्दे कोई भी स्थाई भार सृजित नहीं किया जाएगा।

15. **नगर विक्रय समिति के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील.–**

(1) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने या विक्रय के प्रमाण पत्र को निरस्त करने या निलंबित करने से संबंधित नगर विक्रय समिति के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिले के कलक्टर को जिसकी क्षेत्राधिकारिता के अधीन नगरीय स्थानीय प्राधिकरण आता है, नगर विक्रय समिति के आदेश/विनिश्चय को सूचित किए जाने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर प्ररूप–दो में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) नगर विक्रय समिति के आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जानी है, संलग्न की जाएगी।

(3) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट नियत कालावधि के समापन के पश्चात् प्रस्तुत की गई कोई अपील कलक्टर द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी :

परंतु कलक्टर, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को नियत कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों द्वारा रोका गया था, विलंब को क्षमा कर सकेगा।

(4) कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी एक प्रति अपील प्रस्तुत करने के पूर्व नगर विक्रय समिति को तामील न करा दी जाए, जिसने उस साक्ष्य को पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है तथा ऐसी तामीली का प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए।

(5) कलक्टर ऐसी अपील को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा करेगा।

(6) कलक्टर, दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ऐसे विनिश्चय करने के कारणों सहित लिखित में आदेश पारित करेगा।

16. **शिकायत निवारण समिति के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील.–**

(1) शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, संभागीय राजस्व आयुक्त को, जिसे आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो, शिकायत निवारण समिति के आदेश/विनिश्चय को

सूचित किए जाने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर प्ररूप–तीन में या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट नियत कालावधि के समापन के पश्चात् प्रस्तुत की गई कोई अपील संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी :

परंतु संभागीय राजस्व आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को नियत कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों द्वारा रोका गया था, विलंब को क्षमा कर सकेगा।

(3) कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपील प्रस्तुत करने के पूर्व उसकी एक प्रति, शिकायत निवारण समिति को, जिसने उस आदेश को पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है तथा ऐसी तामीली का प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए।

(4) संभागीय राजस्व आयुक्त, अपील प्राप्त होने पर, संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई की तारीख एवं समय सूचित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा । सुनवाई की तारीख अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर नियत की जाएगी ;

(5) संभागीय राजस्व आयुक्त, दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उस तारीख पर जिसको दोनों पक्षकारों की सुनवाई पूरी हो जाती है, से तीस दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में आदेश पारित करेगा।

17. **पथ विक्रेताओं के अद्यतन अभिलेख संधारण की रीति.–**

(1) नगर विक्रय समिति का दस्तावेजी अभिलेख, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवंटित स्थान में, उसके सचिवालय द्वारा संधारित किया जाएगा तथा उसकी साफ्ट कापी भी उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की जाएगी। नगर विक्रय समिति द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चय वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

(2) पथ विक्रेताओं को स्थान के आवंटन से संबंधित अभिलेख दस वर्ष तक के लिए रखे जाएंगे। अन्य अभिलेख पांच वर्ष की कालावधि के लिए संरक्षित रखे जाएंगे, जब तक कि वे किसी विधिक कार्यवाहियों हेतु आवश्यक ना हो।

(3) पथ विक्रय के विद्यमान स्थल सहित पथ या सड़क योजना, नगर विक्रय समिति का स्थाई अभिलेख होगा।

18. स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति.–

अधिनियम की धारा 38 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम का सारांश, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। नगरीय स्थानीय प्राधिकरण/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा स्कीम का ऐसा प्रकाशन राज्य शासन द्वारा स्कीम अधिसूचित की जाने की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर किया जाएगा।

19. **राज्य सरकार को विवरणियां प्रस्तुत करना.**–

प्रत्येक नगर विक्रय समिति, समय–समय पर, अधिनियम, इन नियमों के अधीन यथाअपेक्षित तथा आयुक्त द्वारा यथा विहित रिटर्न प्ररूप सात एवं आठ में विनिर्दिष्ट ब्यौरे सहित, आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।

20. **कठिनाईयों का दूर किया जाना.**–इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भूत होने वाली किसी शंका का अथवा कठिनाई की दशा में, उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **निरसन तथा व्यावृति.**–

इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, इस विषय पर प्रवृत्त समस्त नियमों, उपविधियां तथा आदेश, यदि कोई हों, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं तथा निष्प्रभावी होंगे:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों, उपविधियों तथा आदेशों के अधीन जारी किए गए आदेशों या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए गए हैं या कार्रवाई की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, उपसचिव.

अनुसूची

(नियम 7 (2) (छ) देखिए)

पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन की रीति :–

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के भीतर पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली नगर विक्रय समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन संचालित करने के आशय को अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त करेगा।

(2) अधिसूचना में सदस्यों की संख्या दी जाएगी जिन्हें निर्वाचित किया जाना है। ऐसी संख्या नगर विक्रय समिति के 10 या कुल सदस्यों का 40% से कम नहीं होगी। निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला सदस्यों में से होंगे और शासन के जिला आरक्षण रोस्टर के अनुसार पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को भी सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने के प्रयोजन हेतु, रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा।

(4) खण्ड (3) के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, पथ विक्रेताओं में से, नगर विक्रय समिति के सदस्यों हेतु, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में निर्वाचन का संचालन करेगा।

(5) कोई चलित विक्रेता, स्थिर विक्रेता या पथ विक्रेता, नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है या किसी नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है।

(6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा।

(7) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली नगर विक्रय समिति के सदस्यों का निर्वाचन संचालित करने के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आशय को अभिव्यक्त करने वाली अधिसूचना जारी होने और निर्वाचन को संचालित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की

नियुक्ति होने के यथाशक्यशीघ्र, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण एक संकल्प द्वारा निर्वाचन के संचालन के लिए तारीख, समय और स्थान का निर्धारण करेगा।

(8) नगरीय स्थानीय प्राधिकरण के संकल्प या विनिश्चय की सूचना, नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय करने के व्यवसाय में संलग्न पथ विक्रेताओं में निम्नलिखित में से किसी एक रीति में परिचालित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) दो प्रख्यातदैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली लोक सूचना द्वारा;

(ख) स्थानीय वितरण द्वारा;

(ग) पोस्ट के प्रमाणन के अधीन डाक द्वारा ;

(घ) सक्षम प्राधिकारी को सम्यक् रूप से पंजीकृत स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस के साथ साथ रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा करें। सूचना में निम्नलिखित के बारे में जानकारी अन्तर्विष्ट होगी,–

(एक) निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला, दिव्यांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक या कोई अन्य विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित हों;

(दो) वह तारीख, स्थान, और समय जिसके मध्य नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसी तारीख निर्वाचन के लिए नियत तारीख से ठीक सात दिवस पूर्व से कम नहीं होगी या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, तो आगामी दिन जिसको कि सार्वजनिक अवकाश नहीं है ;

(तीन) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख और समय;

(चार) मतदान की तारीख, स्थान और समय।

(9) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में संलग्न पथ विक्रेताओं की सूची, जो नामांकन पत्र आमंत्रित करने हेतु नियत तारीख से तीस दिवस पूर्व की होगी, तैयार करेगा और उस सूची की प्रतियां, नगर विक्रय समिति के सूचना पटल पर, नामांकन आमंत्रित करने के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, चस्पा कर प्रकाशित करेगा। सूची में पथ विक्रय प्रमाण–पत्र का पंजीयन क्रमांक और पथ विक्रेता का नाम, यथास्थिति, पिता या पति का नाम और उसका पता विनिर्दिष्ट होगा। यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या नगरीय स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह पथ विक्रेताओं की अद्यतन पंजी एवं

ऐसी अन्य पंजी, जैसी कि रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षा करे, तैयार रखे और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख के तीस दिवस पूर्व, ऐसे अभिलेख या पंजी, रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे। सूची की एक प्रति, यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या मुख्य कार्यपालन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी पथ विक्रेता को ऐसे शुल्क के भुगतान पर प्रदाय की जाएगी जैसा कि नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(10) निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन प्ररूप--चार में किए जाएंगे जो कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी पथ विक्रेता को निःशुल्क दिया जाएगा।

(11) अभ्यर्थी नामांकन पत्रों के साथ, नगर विक्रय समिति द्वारा विनिश्चित प्रतिभूति (रूपये पांच सौ से अन्यून) नकद या बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के साथ जमा करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी मतदान किए गए मतों का 1/6 हिस्सा (छटा हिस्सा) प्राप्त करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण में समपहृत हो जाएगा।

(12) प्रत्येक नामांकन पत्र, रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्र पर उसकी क्रम संख्या दर्ज करेगा और उस तारीख तथा समय का सत्यापन करेगा जब कि उसके द्वारा नामांकन प्राप्त किया गया है तथा तुरंत ही नांमांकन पत्र की प्राप्ति के लिए लिखित में अभिस्वीकृति देगा, जिस पर नगर विक्रय समिति या रिटर्निंग अधिकारी की मुहर होगी। ऐसा कोई भी नामांकन पत्र जो उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय पर या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होता है, उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(13) नामांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करेगा:--

(क) नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख की आगामी तारीख पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा करेगा;

(ख) नामांकन पत्रों की जांच करेगा तथा किसी नामांकन के संबंध में आपत्तियों का विनिश्चय करेगा और ऐसी आपत्ति पर स्व--विवेक से या ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक समझे, किसी भी नामांकन को अस्वीकृत कर सकेगा:

परंतु किसी अभ्यर्थी का नामांकन मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसके या उसके प्रस्तावक या समर्थक का नाम या खण्ड 9 में निर्दिष्ट पथ विक्रेताओं की सूची में यथा प्रविष्ट अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या

समर्थक से संबंधित अन्य विवरण गलत वर्णित है, यदि अभ्यर्थी, यथास्थिति, प्रस्तावक या समर्थक की पहचान युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित हो जाती हो;

(ग) रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक, को यथास्थिति समस्त नामांकन पत्रों की जांच करने, उनका यह समाधान करने कि और चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना विधिमान्य है, समस्त युक्तियुक्त प्रसुविधाएं देगा ;

(घ) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा तथा यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों का एक संक्षिप्त कथन लिखित में अभिलिखित करेगा; और

(ङ) रिटर्निंग अधिकारी, कार्यवाहियों के किसी स्थगन को अनुज्ञात नहीं करेगा सिवाय इसके कि जब ऐसी कार्यवाहियां, बलवा, दंगा या उसके नियंत्रण से बाधित या अवरोधित होती हों।

(14) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र में दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नाम तथा अभ्यर्थियों के पते सहित यथा विनिश्चित विधिमान्य नामांकनों की सूची उसी दिन, जिस दिन नामांकन पत्रों की संवीक्षा पूर्ण होती है, प्रदर्शित या प्रकाशित की जाएगी।

(15) कोई भी अभ्यर्थी, अपने नामांकन पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उस दिन से आगामी दिन, जिसको विधिमान्य नामांकन प्रकाशित किए गए हैं, सांय 5:00 बजे से पूर्व, नगर विक्रय समिति के रिर्टनिंग अधिकारी को स्वयं द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित सूचना पत्र, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा। अभ्यर्थिता को वापस लेने का एक बार दिया गया नोटिस अप्रतिसंहरणीय होगा।

(16) जहां अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित कर दिए गए हैं, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो, तो रिटर्निंग अधिकारी समस्त ऐसे अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा करेगा और उपरोक्त खण्ड (15) के अधीन नियत उम्मीदवारी के प्रत्याहरण के दिन के समाप्त होने के पश्चात् नगर विक्रय समिति के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित होने की घोषणा करेगा । जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हैं, तो वहां रिटर्निंग अधिकारी इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख पर मतदान को संचालित करने के लिए व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी, मतदान संचालित करने के लिए एक या अधिक मतदान अधिकारियों को, जैसी आवश्यकता हो, नियुक्त कर सकेगा। निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मतपत्र प्ररूप–पांच में होगा ।

(17) नगरीय स्थानीय प्राधिकरण, रिटर्निंग अधिकारी को मत पेटी, मत पत्र, पथ विक्रेता या मतदाताओं की सूची की प्रति और ऐसी अन्य सामग्री प्रदाय करेगा, जो निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो। मत पेटी इस प्रकार से संरचित की जाएंगी जिसमें मत पत्रों को उसके अंदर डाला तो जा सके किन्तु मत पेटी का ताला खोले बिना बाहर न निकाला जा सके। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी को उन दोनों स्थानों पर जहां मतदान किया जाना है, मतदाताओं की पहचान करने और मतों की रिकार्डिंग देखने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अभिकर्ता को नियुक्त कर सकेगा। ऐसे पत्र में संबंधित अभिकर्ता की लिखित में प्ररूप–छह में सहमति समाविष्ट होगी ।

(18) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे स्थान पर जहां निर्वाचन संचालित होना है, मतों के लिए संयाचना प्रतिषिद्ध होगी ।

(19) मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व रिटर्निंग अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जो उस समय उपस्थित हैं, खाली मतपेटी दिखाएगा और उसमें ताला लगाएगा तथा अपनी मुहर लगाएगा। अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा यदि वे ऐसा चाहें, तो अपनी मुहर भी लगा सकेंगे।

(20) प्रत्येक पथ विक्रेता या मतदाता को, जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहता हो, मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित या तो मुद्रित, टंकित, लिखित या साइक्लोस्टाइल रूप में, सुविधानुसार, समाविष्ट करते हुए मत पत्र प्रदान किया जाएगा। मत पत्र पर, नगर विक्रय समिति की मुहर के साथ–साथ रिर्टनिंग अधिकारी के आद्याक्षर भी होंगे, और इसके अतिरिक्त उसमें मतदाता के लिए एक ओर स्तंभ होगा जिसमें अभ्यर्थी, जिसको वह मत देना चाहता है, के नाम के सामने [X] का चिन्ह अंकित करेगा।

(21) प्रत्येक मतदान केंद्र तथा जहां किसी केंद्र पर एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो वहां ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र में, एक प्रथक् खंड होगा, जिसमें पथ विक्रेता या मतदाता गोपनीयता से अपना मत दे सकेगा।

(22) किसी पथ विक्रेता अथवा मतदाता को कोई मत पत्र तब तक जारी नही किया जाएगा, जब तक कि मतदान अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि संबंधित पथ विक्रेता अथवा मतदाता वही व्यक्ति है जो उसको प्रदान की गई सूची में उल्लिखित है। ऐसा मत पत्र प्राप्त करने पर पथ विक्रेता अथवा मतदाता, इस प्रयोजन हेतु बनाए गए मतदान खंड में जाएगा और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिसके/जिनके पक्ष में, वह अपने मत का प्रयोग करना चाहता है, यथास्थिति, उस या उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने [X] चिन्ह अंकित करके उपदर्शित करेगा और अत्यधिक गोपनीयता के साथ

इस प्रयोजन हेतु रखी गई मत पेटी में उस मतपत्र को डाल देगा। अंधेपन या अन्य कोई शारीरिक दुर्बलता या निरक्षरता के कारण पथ विक्रेता या मतदाता, मतपत्र पर चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां ऐसा कोई मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं है, वहां रिटर्निंग अधिकारी उससे उस अभ्यर्थी या उन अभ्यर्थियों का, जिसके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है पता लगाएगा और उसकी ओर से मतपत्र पर [X] चिन्ह लगाएगा और मतपत्र को मतपेटी में डालेगा।

(23) यदि मतदान के किसी चरण में, ऐसे निर्वाचन को, किसी बलवा या दंगा द्वारा कार्यवाही को अवरुद्ध या रोका जाता है और किसी पर्याप्त कारण से मतदान करना संभव नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी, नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में ऐसी कार्रवाई के लिए अपने कारण अभिलिखित करते हुए मतदान को रोक देगा।

(24) कोई पथ विक्रेता अथवा मतदाता को मतदान के लिए नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परंतु कोई मतदाता जो उस परिसर में जहां मत पत्र जारी किए जा रहे हैं, मतदान का समय समाप्त होने के पूर्व प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसे मतपत्र जारी किया जाएगा तथा मतदान के लिए अनुमति दी जाएगी।

(25) मतों की गणना, मतदान के समापन के तुरंत पश्चात् की जाएगी। यदि यह संभव ना हो, तो मत पेटी, रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, की मुहर से सीलबंद की जाएगी और अभिरक्षा के लिए नगरीय स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी मत पेटी जमा कर दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी तब मतगणना के लिए आगामी दिन की घोषणा करेगा। मतों की गणना, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अथवा उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा। परंतु मतगणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति, मतगणना एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषित करने को दूषित नहीं करेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या तथा निर्वाचन का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना समाप्त होते ही यथाशक्यशीघ्र घोषित किया जाएगा।

(26) निर्वाचन का परिणाम, नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा तथा नगर विक्रय समिति के सूचना पटल पर तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।

(27) मतों की संख्या बराबर होने की दशा में, रिटर्निंग अधिकारी, सिक्का उछालकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(28) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मत पत्र निरस्त कर दिया जाएगा यदि,–

(क) उस पर कोई ऐसा चिन्ह है जिससे किसी पथ विक्रेता के मत की पहचान होती है;

(ख) उस पर नगर विक्रय समिति की मुहर नहीं लगी है अथवा रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर नहीं है;

(ग) मत इंगित करने वाला चिन्ह ऐसे स्थान पर ऐसी रीति में लगाया गया है, जिससे यह संदेहास्पद हो गया है कि किस अभ्यर्थी को मतदान किया गया है; और

(घ) इतना क्षतिग्रस्त या विकृत है कि एक असली मत पत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।

(29) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात्, उस पर प्रतिवेदन के साथ, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन दिवस के भीतर, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण के साथ–साथ आयुक्त को भी संसूचित किया जाएगा।

(30) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी, नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित मत पत्र एवं अभिलेखों को मुहर बंद लिफाफे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। इन्हें नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन की तारीख से छह माह की कालावधि के लिए या ऐसे समय जब तक कि निर्वाचन से संबंधित प्रस्तुत किसी विवाद का, यदि कोई हो, निपटारा न हो जाए, जो भी बाद में हो, तब तक सुरक्षापूर्वक संरक्षित रखा जाएगा। निर्वाचन के अभिलेख की सुपुर्दगी एवं प्राप्ति की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ, आयुक्त के साथ–साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी।

IndiaCode

प्ररूप–एक

(नियम 5 देखिए)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन

आवेदन क्रमांक..... वर्ष.....20....

.....आवेदक

विरूद्ध

.....अनावेदक (कों)

1. आवेदक का नाम.....
2. पत्राचार का पता.....
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या (यदि जारी किया गया हो).....
4. विक्रय के लिए प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा जारी करने का दिनांक.....
5. विक्रय का स्थान या अवस्थिति.....
6. विक्रय का परिक्षेत्र या वार्ड.....
7. विक्रय की प्रकृति.....
 (1)– चलित.....
 (2)– स्थिर.....
 (3)– कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....
8. किस प्राधिकारी के विरूद्ध शिकायत है.....
9. शिकायत अथवा विवाद का ब्यौरा (पूरा ब्यौरा दें).....

10. शिकायत अथवा विवाद के समर्थन में दस्तावेज
 1.
 2.
 3.
11. घोषणा:

मैं,..... आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी तथा पूर्णज्ञान के आधार पर सत्य हैं तथा इन नियमों में विहित समय–सीमा के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत करता हूं।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप–दो

(नियम 15 देखिए)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

आवेदन क्रमांक..... वर्ष.....20...

.....आवेदक

विरूद्ध

.....अनावेदक (कों)

1. आवेदक का नाम.....
2. पत्राचार का पता.....
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या (यदि जारी किया गया हो).....
4. विक्रय के लिए प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा जारी करने का दिनांक.....
5. विक्रय का स्थान या अवस्थिति.....
6. विक्रय का परिक्षेत्र या वार्ड.....
7. विक्रय की प्रकृति
 (1)– चलित
 (2)– स्थिर
 (3)– कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. नगर विक्रय समिति के आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, (प्रति संलग्न) :.....
 (1)– विक्रय के प्रमाण पत्र की अस्वीकृति
 (2)– विक्रय के प्रमाण पत्र का निलंबन
 (3)– विक्रय के प्रमाण पत्र का रद्दकरण
9. अपील के आधारों का ब्यौरा (पूरे ब्यौरे दें)

10. अपील के समर्थन में दस्तावेजः 1.
 2.
 3.
11. घोषणाः

मैं,..... आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी तथा पूर्णज्ञान के आधार पर सत्य हैं तथा इन नियमों में विहित समय–सीमा के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत करता हूं।

स्थान
दिनांक

संलग्न

आवेदक के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप–तीन

(नियम 16 देखिए)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

आवेदन क्रमांक..... वर्ष...20.....

.....आवेदक

विरूद्ध

.....अनावेदक (कों)

1. आवेदक का नाम.....
2. पत्राचार का पता.....
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या (यदि जारी किया गया हो).....
4. विक्रय के लिए प्रमाण–पत्र का क्रमांक तथा जारी करने का दिनांक.....
5. विक्रय का स्थान या अवस्थिति.....
6. विक्रय का परिक्षेत्र या वार्ड.....
7. विक्रय की प्रकृति
 (1) चलित
 (2) स्थिर
 (3) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. शिकायतनिवारण समिति के विनिश्चिय जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है.....
9. अपील के आधारों के ब्यौरे (पूरे ब्यौरे दें).....
.....
10. अपील समर्थन में दस्तावेज
 1.
 2.
 3.

11. घोषणाः

मैं,..... आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी तथा पूर्णज्ञान के आधार पर सत्य हैं तथा इन नियमों में विहित समय–सीमा के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत करता हूं।

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप–चार

(नियम 7 (छ) और अनुसूची के खण्ड 10 देखिए)

नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन प्ररूप

प्रति,
रिटर्निंग अधिकारी,
.....
नगर विक्रय समिति,
.....

महोदय,

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री नगर विक्रय समिति की क्षेत्राधिकारिता का पथ विक्रेता (पथ पर विक्रय का पंजीकरण/प्रमाण पत्र क्रमांक) एतद्द्वारा, श्री/श्रीमती/सुश्री पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री नगर विक्रय समिति की क्षेत्राधिकारिता का पथ विक्रेता (पथ पर विक्रय का पंजीकरण/प्रमाण पत्र क्रमांक) को दिनांक को सम्पन्न होने वाले निर्वाचन के लिए उक्त समिति के सदस्य हेतु अभ्यर्थी प्रस्तावित करता/करती हूं।

प्रस्तावक का नाम तथा हस्ताक्षर.....
विक्रय का पंजीकरण/प्रमाण पत्र क्रमांक

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा–पत्र

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री जाति(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/दिव्यांग) नगर विक्रय समिति की क्षेत्राधिकारिता का पथ विक्रेता. (पथ पर विक्रय का पंजीकरण/प्रमाण पत्र क्रमांक) एतद्द्वारा, निर्वाचन के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन से सहमत हूं।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि–

(एक) मैं उक्त नगर विक्रय समिति का कर्मचारी नहीं हूं ;

(दो) मैं मतदान हेतु पात्र हूं ; और

(तीन) मैं पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का संख्यांक 7) तथा उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण तथा पथ पर विक्रय का विनियमन) नियम, 2017 के उपबंधो के अधीन उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु किसी भी प्रकार से अनर्ह नहीं हूं।

अभ्यर्थी का नाम तथा हस्ताक्षर.....
पथ विक्रय का पंजीकरण/प्रमाण–पत्र क्रमांक

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

नामांकन प्ररूप प्राप्त किया (समय एवं तारीख)

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

पावती

अभ्यर्थी / प्रस्तावक / समर्थक श्री / श्रीमती / सुश्री..... द्वारा प्रस्तुत श्री का नामांकन प्ररूप समय तारीख..... को प्राप्त किया ।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मुहर.....

प्ररूप–पांच

(नियम 7 (2) (छ) एवं अनुसूची का खण्ड 16 देखिए)

नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान पत्र

नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान पत्र जिनका निर्वाचन मध्यप्रदेश पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण तथा पथ विक्रय का विनियमन) नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची के अधीन आयोजित किया जाएगा।

..... नगर विक्रय समिति

.....

..... (पता)

पावती

..... के पद हेतु मतपत्र

निर्वाचन दिनांक.....

अनुक्रमांक.....विक्रय का पंजीकरण / प्रमाण पत्र क्रमांक

मतपत्र का क्रमांक

एक अभ्यर्थी के सम्मुख [X] का चिन्ह अंकित करें

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विक्रय का पंजीकरण / प्रमाण-पत्र क्रमांक	मतदान करने के लिए चिन्ह

प्ररूप–छह

(नियम 7 (2) (छ) एवं अनुसूची का खण्ड 17 देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु पत्र

मैं पत्नी / पुत्र / पुत्री श्री नगर विक्रय समिति का विक्रय का पंजीकरण / प्रमाण पत्र क्रमांकउक्त समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, निम्नलिखित व्यक्ति को दिनांक (दिनांक विनिर्दिष्ट करें) को संपन्न होने वाले नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए अपना निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता एतद्द्वारा नियुक्त करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम तथा हस्ताक्षर.....

विक्रय का पंजीकरण / प्रमाण पत्र क्रमांक

मैं पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री पता निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता बनने का इच्छुक हूं।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप–सात

(नियम 19 देखिए)

आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कालिक विवरणी के ब्यौरे

.....नगर पालिक निगम या नगर पालिका परिषद या नगर परिषद एतद्द्वारा(मार्च या जून या सितम्बर या दिसम्बर) 20..... को समाप्त हुई, तिमाही के लिए कालिक विवरणी के निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:–

1. तिमाही के दौरान जारी किए गए, निरस्त, निलम्बित तथा रद्द किए गए प्रमाण–पत्रों के ब्यौरे:–

ब्यौरे	आवेदन	स्वीकृत या जारी	निरस्त	नवीकृत	निलम्बित	रद्द
तिमाही के प्रारंभ में लंबित						
नवीन प्राप्त						
कुल						
तिमाही के दौरान निपटाए गए						
तिमाही के अंत में लंबित						

2. नवीन सर्वेक्षण किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या एवं पथ विक्रेताओं का नाम, पता, विक्रय का स्थान, विक्रय का प्रकार सहित उनके पूर्ण ब्यौरे।
3. नगर विक्रय समिति की आयोजित बैठकों की संख्या।
4. नए चिन्हित विक्रय क्षेत्रों के, यदि कोई हो, उसकी धारण क्षमता सहित ब्यौरे।
5. किए गए सामाजिक अंकेक्षण के ब्यौरे, यदि कोई हो।
6. पथ विक्रेताओं के लिए किए गए ऋण, बीमा, तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण स्कीमों की उपलब्धता हेतु प्रोत्साहनीय उपायों के ब्यौरे।
7. अन्य कोई सूचनी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, निर्देशित की जाए।

हस्ताक्षर

आयुक्त, नगरपालिक निगम...../

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्

या नगर परिषद्

IndiaCode

प्ररूप–आठ
(नियम 19 देखिए)

नगर विक्रय समिति की वार्षिक विवरणी

1. समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी
2. विवरणी दाखिल करने वाली नगर विक्रय समिति का नाम.....
3. नगरीय स्थानीय निकाय का नाम.....
4. नगर विक्रय समिति के सदस्यों की कुल संख्या.....
5. नगर विक्रय समिति में पथ विक्रेता सदस्यों की कुल संख्या.....
6. वर्ष के दौरान आयोजित नगर विक्रय समिति की बैठकों की संख्या.....
7. बैठकों का अभिलेख समुचित अनुरक्षित है? हॉ /नहीं
8. नगर में विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है? हॉ /नहीं
 यदि हाँ, पिछले सर्वेक्षण कब किया गया था?
9. विक्रेताओं की पंजी संधारित है? हॉ /नहीं
10. विक्रेताओं की पंजी को वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया था? हॉ /नहीं
11. वर्ष के शुरू में पंजीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या
12. वर्ष के दौरान अपंजीकृत किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या
13. वर्ष के दौरान पंजीकृत नए पथ विक्रेताओं की संख्या.....
14. वर्ष के अंत में पंजीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या.....
15. नगर में पथ ~~विक्रेता बाजारें~~ की संख्या.....
16. वर्ष के दौरान बनाए गए नए पथ विक्रेता बाजारों की संख्या
17. बैंकिंग से जोड़े गये पथ विक्रेताओं की संख्या.....
18. पथ विक्रेताओं की संख्या जिनको आवास प्रदान किया गया.....
19. पथ विक्रेता की संख्या जिनके खिलाफ वर्ष के दौरान मामले दर्ज किए गए.....
20. क्या नगर विक्रय समिति के पास समर्पित निधि है? हॉ/नहीं
 यदि हाँ, वर्ष के अंत में शेष निधि
21. अच्छे एवं अनुकरणीय कार्य, जिनको नगर विक्रय समिति अन्य समितियों से साझा करना चाहती है, यदि कोई हो तो, (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ लगावें)
22. बैठक की तारीख, जिसमें नगर विक्रय समिति द्वारा वार्षिक विवरणी अनुमोदित की गई।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर

IndiaCode

Bhopal, the 24th April 2017

Not. No. 11/F 1-4-2017-XVIII-3.—

In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No.7 of 2014), the State Government, hereby, makes the following rules relating to street vending in the State of Madhya Pradesh, namely:-

RULES

1. Short title and commencement-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No. 7 of 2014);

(b) "**Chief Executive Officer**" means Municipal Commissioner in case of a Municipal Corporation as defined in sub-section (11) of section 5 of the Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Chief Municipal Officer in of case of a Municipality or Nagar Parishad, as the case may be, as defined in sub-section (5) of section 3 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(c) "**Collector**" means Collector of the district appointed by the State Government and prescribed as Collector in section 11 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959; (No. 20 of 1959);

(d) "**Commissioner**" means Commissioner of a Urban Administration and Development Department of Madhya Pradesh;

(e) "**Divisional Revenue Commissioner**" means Divisional Revenue Commissioner appointed by the State Government and as prescribed as Commissioner in section 11 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959; (No. 20 of 1959);

(f) "**Form**" means the form appended to these rules;

(g) "**Government**" means the Government of Madhya Pradesh acting through the Commissioner, Urban Administration and Development Department of Madhya Pradesh;

(h) "**Grievance Redressal Committee**" means a Committee constituted by the Commissioner, Urban Administration and Development Department of Madhya Pradesh under sub section (1) of section 20 of the Act for redressal of grievances or resolution of disputes;

(i) **"Mayor"** means Mayor as defined in section 6 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956; (No. 23 of 1956);

(j) **"President"** means President as defined in section 19 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961;

(k) **"Urban local authority"** means the Municipal Corporation constituted under section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956(No.23 of 1956) and the Municipalities and Nagar Parishad constituted under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules herein shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Minimum Age for Street Vending.-

The minimum age for street vending shall be 18 years.

4. Constitution of Grievance Redressal Committee.-

(1) The Commissioner shall constitute one grievance redressal committee at each revenue divisional level for redressal of grievances or resolution of the disputes of the street vendors. Commissioner may constitute a committee for more than one revenue commissionaires, if needed.

(2) The Commissioner shall decide the area of jurisdiction and the headquarters of the grievance redressal committee.

(3) The Commissioner shall nominate the members of the grievance redressal committee, in a suitable manner keeping expertise for the purpose of redressal of grievances or resolution of disputes of street vendors.

(4) The Committee shall be constituted, consisting of minimum three members prescribed as below:-

(i)	A person who has been a Civil Judge or Judicial Magistrate -	Chairperson
(ii)	A person who has been a Municipal Commissioner or Chief Municipal Officer -	Member
(iii)	A person is a social worker of repute working for the cause of urban poor -	Member:

Provided that no employee of the government or the urban local authority shall be appointed as members of the committee.

(5) The tenure of the grievance redressal committee shall be three years.

(6) The Chairperson and the members of the grievance redressal committee shall be paid such remuneration as may be decided by the Commissioner from time to time.

5. Form and manner of making application to Grievance Redressal Committee.-

(1) Any street vendor who has any grievance or dispute in respect of anything done or any action taken under the provisions of the Act (except section 11 of the Act) or the rules made thereunder, may make an application in writing in Form-I, either himself/herself or through his/her representative, to the grievance redressal committee.

(2) Such application shall be filed by the street vendor within a period of thirty days from the date of occurrence of any incident causing the grievance or dispute.

(3) The Grievance Redressal Committee shall not entertain any application where,-

(a) The application is anonymous or it contains general and vague allegations;

(b) The matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or a quasi-judicial authority;

(c) The matter is beyond the purview of the Act;

(d) The applicant has no locus standi to file an application; and

(e) Time barred application.

6. Manner of hearing by Grievance Redressal Committee.-

(1) On receipt of an application under rule 5, the grievance redressal committee shall hold a preliminary hearing with the applicant to determine as to whether there is a prima facie case and whether the balance of convenience is in favour of applicant. The street vendor may also pray for the interim relief during the pendency of such application.

(2) The result of the preliminary hearing shall be pronounced at the conclusion of the hearing and shall be recorded in writing and communicated to the applicant. The grievance redressal committee may grant or refuse the interim relief, if any, prayed by the street vendor, with the reasons recorded in writing.

(3) Where it has been held by the grievance redressal committee that there is a prima facie case, a notice shall be issued to the urban local authority containing the details of the grievance or dispute.

(4) The Urban local authority, on receipt of such notice, shall file a reply within a period stipulated in the notice, and a copy of the reply shall also be furnished to the street vendor, free of cost.

(5) The street vendor may file a counter reply within a period of two weeks from the date of receipt of written reply filed by the urban local authority.

(6) The grievance redressal committee may order for a field enquiry by deputing one of its members or an official of the urban local authority in connection with the contentions made by the applicant or non- applicant and also with reference to the records placed before it.

(7) The grievance redressal committee, after hearing both the parties, shall pass an order in writing, with the reasons for taking the decision, within a period of one month from the date on which hearing of both the parties concluded.

(8) The decision of the grievance redressal committee shall be binding on the parties unless it is stayed by the Appeallate Authority as prescribed in Rule 16 to which the appeal lies.

7. Constitution of Town Vending Committee.-

(1) Every urban local authority shall constitute the town vending committee, provided that the Chief Executive Officer may if considered necessary, can constitute more than one town vending committee or a town vending committee for each zone in their urban local authority.

(2) The Chief Executive Officer shall constitute the Town Vending Committee as follows:

(a) The Chief Executive Officer shall be the ex-officio Chairperson of the Town Vending Committee;

(b) Two Counselors nominated by the Chief Executive Officer;

(c) Two officials namely:-
Officer-in-charge dealing with task related to Street vendors/Market and Health Officer, to be nominated by the concerned Chief Executive Officer;

(d) Two members not below the rank of Deputy Superintendent of Police from traffic police and police in case of a Municipal Corporation and one member not below the rank of town inspector /station officer in case of a Municipality and Nagar Parishad, to be nominated by Superintendent of Police of the area;

(e) One member of the Market Association /Traders Association or other such Association, nominated by the Chief Executive Officer on recommendation of such association;

(f) One official not below the rank of Assistant Director in case of a Municipal Corporation and any other Town Planning Official for a Municipality and Nagar Parishad, to be nominated by the Joint Director Town and Country Planning Department under whose jurisdiction the concerned urban local authority lies;

(g) 10 or 40% of the total member of the town vending committee, whichever is more shall be elected by street vendor themselves conducted in the manner provided in the Schedule appended to these rules:

Provided that one third of members representing of street vendors shall be amongst women vendors:

Provided further that due representation shall be given to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities, as per reservation roster prevalent in the district. Due representation shall also be given to minorities;

(h) One member from the Resident Welfare Associations to be nominated by the concerned Chief Executive Officer;

(i) One member from the Non-Governmental Organization working in the areas to be nominated by the Chief Executive Officer;

(j) One member from the banking sector to be nominated by the Lead Bank Manager of the district;

(k) Chairperson of Town Vending Committee may invite any Expert/Any Person/Organization/Association/Company as a special member to se advice/assistance from them. The Officer in charge dealing with Street vendors/Market or any other official shall be nominated as Member Secretary by the Chairperson.

(3) The term of the town vending committee shall be co-terminus with that of the term of the urban local authority.

(4) The Chairperson and Members shall not be eligible for any allowance for serving in the town vending committee. Expert/special members who have been associated for seeking assistance/advice shall be entitled to such allowances as may be decided by the Commissioner.

(5) The election process of the representatives of street vendors shall be completed within 6 months from the date of publication of this notification. During the intervening period town vending committee shall function provisionally following all the rules related to conduct of its business and activities.

8. Removal of a member of Town Vending Committee.-

If in the opinion of the town vending committee, any member of town vending committee persistently makes default in the performance of his/her duties imposed on him/her by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers the town vending committee by simple majority can take decision to remove such member from committee:

Provided that such member shall be given reasonable opportunity of being heard before his/her removal.

9. Method of Filling Vacancy.-

Where any vacancy occurs in the existing town vending committee due to resignation, death, removal of any member or for any other reasons, same procedure as laid down in these rules shall be followed for filling up such vacancy.

10. Dissolution of Town Vending Committee.-

If in the opinion of the Commissioner, town vending committee persistently makes difficult in the performance of duties imposed on it by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses it powers, the Commissioner may, by order, dissolve such town vending committee and order to constitute a fresh town vending committee.

11. Procedure for meeting of Town Vending Committee.-

(1) The town vending committee shall decide in its first meeting, the various procedural aspects relating to conduct of its business.

(2) The meetings of the town vending committee shall be held atleast once in six months, but whenever it is necessary special meeting may be called by the Chairperson at any time:

Provided that the time between two consecutive meetings shall not be more than nine months.

(3) The quorum for the meeting of the town vending committee shall be one third of its total members.

(4) The time and venue of the meeting shall be decided by the Chairperson.

(5) The Member-Secretary shall issue a notice atleast seven days before of a scheduled meeting along with agenda notes:

Provided that if necessary the meeting can be called within short notice after taking due approval from the Chairperson

(6) The agenda of the items to be discussed in the meeting shall be circulated to the members and uploaded on the official website. Each agenda item shall be accompanied by a detailed note bringing out the issues involved with the clear recommendation, if any, made by the administration.

(7) The decision shall be taken on the basis of the majority of members present at the meeting.

(8) No meeting shall be carried on in the absence of the quorum and where there is no quorum, the meeting shall be adjourned.

(9) The minutes of the meeting shall be signed by the Chairperson and shall be placed in the subsequent meeting of the committee for confirmation.

(10) The minutes of the meeting shall be uploaded on the website of urban local authority.

(11) The first meeting of the newly constituted town vending committee shall be fixed within forty five days from the date of its constitution.

12. Status paper and street vending scenario shall be put up by the Urban Local Authority.-

After the procedural details are finalized by the Town Vending Committee, and before it takes up the regular business, the urban local authority shall circulate a status paper of the street vending scenario in the city or town amongst the members of the committee containing the following details, namely:-

(1) The areas of street vending in the city or town indicated in the maps;

(2) The number of street vendors in the city or town where a survey has already been conducted, otherwise indication can be given about the approximate numbers;

(3) Information about the high footfall areas, lean footfall areas and midrange areas from the street vending angle;

(4) The areas of seasonal vending, areas of niche market, areas of night bazars, the likely high footfall places in the areas under development;

(5) A broad category of articles sold;

(6) The problem areas from the traffic angle;

(7) Enumeration of the relevant provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006).

(8) Enumeration of health and hygiene aspect needs to be taken care of by the street vendors.

Explanation: Caution should be taken to ensure that the data presented are authentic to the extent possible and up-to-date. This will virtually be from the baseline data to facilitate the committee to take decision. These databases can be presented in the digital form if so desired by the committee; and

(9) Any other relevant issue pertaining to street vending scenario etc.

13. Functions of Town Vending Committee.-

Without prejudice to any other provisions of the Act, a Town Vending Committee shall perform the following functions and duties, namely:-

(1) To conduct surveys within the area of its jurisdiction to identify the street vendors in the area and ensure their accommodation in accordance with the norms, plan and the holding capacity within the area of its jurisdiction.

(2) Where the committee considers it necessary to change zoning or the area to be allotted to individual vendor, it may draw attention of the urban local authority to suitably modify the plan. After obtaining opinion of the urban local authority, the committee shall take final decision thereon.

(3) While making recommendations and suggesting any changes in the vending zones, the committee shall take into consideration the road width, traffic flow and the pedestrian movement in the area concerned.

(4) To issue and renew certificate of vending to an eligible street vendor after obtaining an undertaking from him/her to comply with the terms and conditions subject to which the certificate of vending is issued as specified in rules/schemes.

(5) To withhold, cancel or suspend certificate of vending of street vendors who commit breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for regulating street vending under the Act or these rules or scheme made under the Act or where the town vending committee is satisfied that such certificate of vending has been secured by the vendor through misrepresentation or fraud.

(6) To recommend to the urban local authority an area in its jurisdiction for declaration of the same to be a non vending area.

(7) To identify sites and spaces for vending and hawking.

(8) To regulate timings for vending to ensure non congestion of public spaces.

(9) To ensure enforcement of corrective mechanism against defiance by street vendors.

(10) To follow up cases of dispute pending before the dispute redressal committee and the urban local authority.

(11) To furnish recommendations to the urban local authority in relation to the preparation of plan to promote the vocation of street vendors.

(12) To publish the street vendor's charter specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to the street vendors and time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein.

(13) To maintain up to date records of registered street vendors and street vendors to whom certificate of vending has been issued in accordance with the provision of the Act and the rules as prescribed in the Scheme.

(14) To carry out social audit of its activities under the Act or these rules or the scheme made there under.

(15) To furnish from time to time to the Commissioner and the urban local authority such returns as may be prescribed under the Act, these rules and scheme.

(16) To furnish comments to the Commissioner for undertaking promotional measures of making, available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors.

(17) To raise awareness among the people, the role of street vendors in the economy.

(18) To declare, on the recommendations of the urban local authority, the natural market, weekly market, heritage market, festive market, seasonal market, night bazar and niche market with their exact location and the specific period in case of seasonal market or festive market. Where such markets are evolving a new, the committee shall get the necessary survey carried on of the area and such other aspects as it deems necessary and declare the place a market of any of the aforesaid mentioned categories, depending on the situation.

(19) To perform such other functions as assigned by the urban local authority or the Commissioner for effective implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.

14. Office and Employees of the Committee.-

(1) The town vending committee shall have its permanent office at such place as may be decided by the Chief Executive Officer.

(2) The Chief Executive Officer shall provide adequate staff at their cost as requested by the town vending committee but no permanent burden shall be created by the committee on account of the establishment cost.

15. Appeal against decision or order of Town Vending Committee.-

(1) Any person, aggrieved by the decision or order of the town vending committee, with respect to issue of certificate of vending or cancellation or suspension of certificate of vending may prefer an appeal to the Collector of

the district under whose jurisdiction urban local authority lies, within a period of thirty days from the date of communication of order /decision of town vending committee, in Form-II either himself/herself or through his/her representative.

(2) A copy of order of the town vending committee against which appeal is filed shall be enclosed.

(3) Any appeal filed after the expiry of the stipulated period specified in sub-rule(1) shall not be entertained by the Collector:

Provided that the Collector may condone the delay if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring an appeal within the stipulated period.

(4) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon town vending committee which has made the order appealed against prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed along with the appeal.

(5) The Collector shall dispose of such appeal within a period of thirty days from the date of filing of the appeal.

(6) The Collector, after hearing both parties shall pass an order in writing with reasons for taking such decision.

16. Appeal against decision or order of Grievance Redressal Committee-

(1) Any person, aggrieved by the decision of the grievance redressal committee may prefer an appeal in writing to the Divisional Revenue Commissioner, who has been authorized as a Appeallate Authority for this purpose by the Commissioner, within a period of thirty days from the date of communication of order/decision of the grievance redressal committee in Form III either himself/herself or through his/her representative.

(2) Any appeal filed after the expiry of the stipulated period specified in sub-rule (1) shall not be entertained by the Divisional Revenue Commissioner:

Provided that the Divisional Revenue Commissioner may condone the delay if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring an appeal within the stipulated period.

(3) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon grievance redressal committee which has made the order appealed against, prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed alongwith the appeal.

(4) The Divisional Revenue Commissioner, on receipt of appeal, shall issue a notice to the parties concerned intimating the date and time of hearing. The hearing date shall be fixed within thirty days from the date of filing of appeal.

(5) The Divisional Revenue Commissioner, after hearing both parties, shall pass an order in writing within a period of thirty days from the date on which hearing of both the parties concluded.

17. Manner of maintaining upto-date record of street vendors.-

(1) The paper records of the town vending committee shall be maintained by its secretariat in the place allotted by the local authority and the soft copy should also be maintained suitably. All decisions taken by the town vending committee shall be placed on a website.

(2) The records relating to the allotment of the space to the street vendors shall be kept for ten years. Other records may be preserved for a period of five years unless those are needed for any legal proceedings.

(3) The street or road plan with the existing site of the street vending shall be a permanent record with the town vending committee.

18. Manner of publishing summary of Scheme-

The summary of the Scheme notified by the State Government under section 38 of the Act shall be published by the urban local authority/Urban Administration and Development Department in two local newspapers and shall also be uploaded on the website. Such publication of scheme by the urban local authority/Urban Administration and Development Department shall be made within 15 days from the date of scheme notified by the State Government.

19. Furnishing of returns to the State Government-

Every town vending committee shall furnish from time to time, return as required under the Act, these rules and as prescribed by the Commissioner, along with the details specified in Form VII and VIII, to the Commissioner.

20. Removal of difficulties-

In case of any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the same shall be referred to the State Government, on which the decision of State Government shall be final.

21. Repeal and Saving-

All rules, bylaws and orders if any, on this subject in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed and ceased to have effect.

Provided that, in respect of any order issued or any action taken under the so repealed rules, bylaws and orders it shall be deemed to have been issued or action taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GOPAL CHANDRA DAD. Dy. Secy.

SCHEDULE

[See Rule7(2) (g)]

Manner of election of the members of the Town Vending Committee from amongst the street vendors:-

(1) The Chief Executive Officer shall by a notification express its intention to conduct elections for the members of a Town Vending Committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the urban local authority.

(2) The notification shall give the number of members which are to be elected. Such number shall not be less than 10 or 40% of total members of Town Vending Committee. Out of total members to be elected at least one-third of members shall be amongst the women members and due representation shall be given to the Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disability amongst the members representing street vendors as per district reservation roster of the Government. Due representation shall also be given to the minority.

(3) The Chief Executive Officer shall appoint a returning officer for the purpose of conducting election of members of the Town Vending Committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the urban local authority.

(4) The returning officer appointed under clause 3 shall conduct the elections for the members of the Town Vending Committee from amongst the street vendors in the manner provided hereinafter.

(5) A mobile vendor, stationary vendor or street vendor shall be disqualified to be elected as member of Town Vending Committee if he/she is convicted of an offence involving moral turpitude or ne/she is physically or mentally incapable of discharging duties as a member of a Town Vending Committee.

(6) The Chief Executive Officer shall supervise, direct and control the conduct of elections of the members of a Town Vending Committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.

(7) As soon as the notification expressing the intention of the Chief Executive Officer to conduct elections of the members of the Town Vending Committee representing the street vendors has been issued and appointment of a returning officer for conducting the election, the Urban local authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of the election.

(8) The notice of the resolution or decision of the Urban local authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of Jurisdiction of the Town Vending Committee, by any of the following modes, namely:-

(a) by public notice to be published in two prominent daily Hindi newspapers;

(b) by local delivery;

(c) by post under certificate of posting;

(d) by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as by affixing it on the notice board of the returning officer. The notice shall contain information regarding –

(i) the number of members to be elected including seats reserved for representation of Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Other Backward

Classes, women, persons with disabilities, minorities or any othe specified categories;

(ii) The date, place and the hours between which nomination papers shal be filed, such date being not less than seven clear days before the dat fixed for election or if that day happens to be public holiday, the nex succeeding day which is not a public holiday;

(iii) The date and the hour for scrutinisation of the nomination papers;

(iv) The date, place and the hours of the polling.

(9) The Chief Executive Officer shall prepare a list of street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee as it stood on thirty days before the date fixed for inviting the nominations and publish copies of the said list by affixing it on the notice board of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for inviting nominations. The list shall specify the registration number of certificate of street vending and name of the street vendor, name of father or husband, as the case may be, and his address. It shall be the duty of the Town Vending Committee or the Urban local authority, as the case may be, to prepare up-to-date register of street vendors and such other registers as the returning officer may require and handover such records or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election. A copy of the list shall be supplied by the Town Vending Committee or the Chief Executive Officer or the returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the Urban local authority.

(10) The nominations of the candidates for election shall be made in Form-IV which shall be supplied by the returning officer to any street vendor free of cost.

(11) The candidate shall make a security deposit decided by Town Vending Committee (not less than Rs. 500) in cash or bank draft or pay order alongwith the nomination papers. If a candidate fails to get one sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited to the Urban local authority.

(12) Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself/herself or by his/her proposer or seconder to the returning officer. The returning officer shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt of nomination paper which shall bear the seal of the Town Vending Committee or returning officer. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.

(13) After nomination process is over, the returning officer shall proceed as under:-

(a) on the day following the date fixed for the receipt of nomination papers, shall take up the scrutiny of the nomination papers;

(b) shall examine the nomination papers and decide objections in respect of any nomination and may either on such objection or on his/her own motion and after such summary inquiry, if any, as the returning officer thinks necessary, reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his/her name or the name

of his/her proposer or seconder or any other particulars relating to the candidate or his/her proposer or seconder, as entered in the list of street vendors referred to in clause 9 if the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

(c) The returning officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid;

(d) The returning officer shall endorse on each nomination paper his/her decision accepting or rejecting the same and if the nomination paper is rejected she/he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection; and

(e) The returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his/her control.

(14) The list of valid nominations as decided by the returning officer with names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers shall be displayed or published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.

(15) Any candidate may withdraw his/her candidature by notice in writing signed by him/her and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 5:00 PM on the day following the day on which the valid nominations are published, to the returning officer of the Town Vending Committee. A notice of withdrawal of candidature once given shall be irrevocable.

(16) Where the number of candidates whose nomination papers have been declared valid, does not exceed, the number of candidates to be elected, the returning officer shall announce the names of all such candidates and declare them to have been duly elected to the Town Vending Committee after closing hour of the day of withdrawal of candidatures fixed under clause (15) above. Where the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected, the returning officer shall arrange for conducting a poll on the date fixed for the purpose. The returning officer may appoint one or more polling officers as may be necessary for conducting the poll. The ballot paper to be used for the election shall be in Form-V.

(17) The Urban local authority shall provide the returning officer with ballot boxes, ballot papers, copy of list of street vendors or voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections. The ballot box shall be designed in such a way that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked. A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer, appoint an agent to represent him/her for both the places where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes. Such letter shall contain consent in writing of the agent concerned in Form-VI.

(18) The canvassing for votes by any person at any place where election is to be conducted shall be prohibited.

(19) Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock

it up and fix his/her seal. The candidate or his/her agent may also affix his/her own seal, if he/she so desires.

(20) Every street vendor or voter who desires to exercise his/her right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of the contesting candidates arranged in English alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, on the ballot paper. The ballot paper shall also bear the seal of the Town Vending Committee and also the initials of the returning officer, and further contain a column, for the voter to inscribe a mark [x] against the names of the persons to whom he /she wants to vote.

(21) Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendor or voters can record their votes in secrecy.

(22) No ballot paper shall be issued to a street vendor or voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor or the voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him/her. On receipt of such ballot paper the street vendor or voter shall proceed to the polling compartment set up for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he/she exercises his/her vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the case may be, and drop the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor or voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he/she desired to vote, inscribe the mark [x] on his/her behalf and drop the ballot paper in the ballot box.

(23) If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray at such elections and it is not possible to take the poll for any sufficient cause, the returning officer may stop the polling recording his/her reason for such action in the minute book of the Town Vending Committee.

(24) No street vendor or voter shall be admitted after the hours fixed for the poll but a voter who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed him/her to vote.

(25) The counting of votes shall take place immediately after closure of the poll. If this is not possible, the ballot box shall be sealed with the seal of the returning officer and the contesting candidates or their agents, if they so desire, and deposit such ballot box with the Urban local authority for custody. The returning officer shall then announce the next day of counting. The votes shall be counted by or under the supervision of the returning officer. Each candidate and his/her authorized agent shall have a right to be present at the time of counting. But absence of any candidate or his/her agent at the time of counting shall not vitiate the counting and the announcements of results by the returning officer. The number of votes secured by each candidate and the result of election shall be announced by the returning officer as soon as the counting is over.

(26) The result of the elections shall also be recorded in the minute book of the Town Vending Committee and attested by the returning officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.

(27) In case of equal number of votes, the returning officer shall declare the election result by tossing coin.

(28) The ballot paper shall be rejected by the returning officer if,-

(a) It bears any mark by which the street vendor's vote can be identified;

(b) It does not bear the seal of the Town Vending Committee or the initials of the returning officer;

(c) The mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which the candidate vote has been casted; and

(d) Is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.

(29) After the declaration of the result of election, the same alongwith a report thereon shall be communicated to the Urban local authority as well as to the Commissioner by the returning officer, within three days from the date of declaration of the election result.

(30) After the declaration of the result of the election, the returning officer shall handover the ballot paper and records relating to the elections of the members of the Town Vending Committee to the Chief Executive Officer in a sealed cover. These shall safely be preserved by the Urban local authority for a period of six months from the date of elections or till such time a dispute regarding elections, if any, filed is disposed of, whichever is later and shall thereafter be destroyed by the Urban local authority. A copy of the handing over and taking over record of election shall be sent to the Commissioner as well as to the Chief Executive Officer by the returning officer along with his/her report.

FORM -I

(See rule 5)

APPLICATION BY THE AGGRIEVED STREET VENDOR TO THE GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE

Application No. ……..of 20…

……Applicant

Vs

……Respondent(s)

1. Name of Applicant:

2. Address for correspondence:

3. ID Number given by local authority (if issued):

4. Number and the date of issue of certificate for vending:

5. Place or location of vending:

6. Zone or ward of vending:

7. Nature of vending:

(1) Mobile
(2) Stationary
(3) Any other (specify)

8. Grievance against which authority:

9. Details of grievance or dispute (give full details):

10. Documents supporting grievance or dispute:
1.
2.
3.

11. Declaration:

I,---------- the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and information and files this application within the time limit prescribed in the rules.

Place:
Date:

Signature of applicant

IndiaCode

FORM -II

(See rule 15)

APPEAL BY THE AGGRIEVED STREET VENDOR TO THE APPELLATE AUTHORITY AGAINST DECISION OF THE TOWN VENDING COMMITTEE

Application No.of 20...

.....Applicant

Vs

.....Respondent(s)

1. Name of Applicant:

2. Address for correspondence:

3. ID Number given by local authority (if issued):

4. Number and the date of issue of certificate for vending:

5. Place or location of vending:

6. Zone or ward of vending:

7. Nature of vending:

(1) Mobile
(2) Stationary
(3) Any other (specify)

8. Order of Town Vending Committee against which this appeal is preferred (Copy enclosed):

(1) Rejection of certificate of vending
(2) Suspension of certificate of vending
(3) Cancellation of certificate of vending

9. Details of grounds of Appeal (give full details):

10. Documents supporting Appeal:

1.
2.
3.

11. Declaration:

I,----------,the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and information and files this application within the time limit prescribed in the rules.

Place:
Date:

Enclosed:

Signature of applicant

IndiaCode

FORM-III
(See rule 16)

APPEAL BY THE AGGRIEVED STREET VENDOR TO THE APPELLATE AUTHORITY AGAINST DECISION OF THE GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE

Application No.of 20...

.....Applicant

Vs

.....Respondent(s)

1. Name of Applicant:

2. Address for correspondence:

3. ID Number given by local authority (if issued):

4. Number and the date of issue of certificate for vending:

5. Place or location of vending:

6. Zone or ward of vending:

7. Nature of vending:

(1) Mobile
(2) Stationary
(3) Any other (specify)

8. Decision of Grievance Redressal Committee against which appeal is preferred:

9. Details of grounds of appeal (give full details):

10. Documents supporting appeal:
1.
2.
3.

11. Declaration:
I,----------the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and information and files this application within the time limit prescribed in the rules.

Place:
Date:

Signature of applicant

IndiaCode

FORM -IV

[See Rule 7 (g) and clause 10 of Schedule]

NOMINATION FORM FOR ELECTION OF MEMBERS OF TOWN VENDING COMMITTEE

To,

The Returning Officer,

.....

Town Vending Committee,

Sir,

I,.....wife/son/daughter of Shri....., street vendor, vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee,(Registration/ certificate of Vending No.....) hereby, propose the name of Shri/Smt./ Ms.....wife/ son/ daughter of Shri.....and a street vendor of the said Town Vending Committee (Registration / Certificate of Vending No.....) as a candidate for the post of member of the said committee for the election to be held on.....

Name and signature of the proposer.....
Registration/ certificate of Vending No.....

I ,.....wife/ son/ daughter of Shri.....Registration / certificate of vending No.....ofTown Vending Committee, hereby second the above proposal.

Name and signature of the Seconder.....
Registration/ certificate of Vending No.....

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I ,.....wife/ son/daughter of Shri.....,Caste.....Scheduled Castes/Schedule Tribes/Other Backward Classes/Minority/Physically Handicapped) street vendor, vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee,(Registration/ certificate of Vending No.....) hereby agrees to my nomination for the election as member of theTown Vending Committee.

I further declare that –

(i) I am not employee of the said Town Vending Committee;

(ii) I am eligible to vote; and

(iii) I do not incur any disqualification for election as member of the said Town Vending Committee under the provisions of the Street Vendors(Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act No 7 of 2014) and the Madhya Pradesh Street Vendors(Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017 made thereunder.

Name and signature of the Candidate.....
Registration/ certificate of Vending No.....

(FOR OFFICE USE ONLY)

Received the nomination format.....(time and date)

Signature of the Returning Officer.....

ACKNOWLEDGEMENT

Received the nomination form of.....presented by Shri/ Smt./ Ms.....candidate/ proposer/ seconder for the election at.....am/pm. On.....

Signature of the Returning Officer.....

Seal

FORM -V

[See Rule 7 (2)(g) and clause 16 of Schedule]

BALLOT PAPER FOR ELECTION OF MEMBER OF A TOWN VENDING COMMITTEE

Ballot paper of election of members of a Town Vending Committee whose elections are to be conducted under Schedule appended to the Madhya Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihoods and Regulation of Street Vending) Rules, 2017.

The.....Street Vending Committee
.....
..... (address)

(Counterfoil)

Ballot paper for the post of
Date of election.....
Sr. No.....Registration/ Certificate of vending no.....
Ballot Paper.No

Please mark [x] against one of the candidates

Sr. No.	Name of the candidate	Registration/ certificate of Vending No.	Mark for casting Vote

FORM -VI

[See Rule 7 (2)(g) and clause 17 of Schedule]

Letter for Appointment of Election Agent/ Counting Agent

I,.....wife/son/daughter of ShriRegistration /certificate of vending No.....of.....Town Vending Committee contesting for election of member of the said committee, hereby nominate the following person as my election agent / counting agent in the election of Members of the said Town Vending Committee to be held on.....(specify date):-

Name and Signature of the Candidate.....

Registration/ certificate of Vending No.

I,son/wife/ daughter of Shri.....
address.....
.... am willing to be the election agent/ counting agent.

Signature of the Agent

IndiaCode

FORM -VII
(See rule 19)

DETAILS OF THE PERIODICAL RETURNS TO BE FURNISHED TO THE COMMISSIONER

.....Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Parishad at hereby submits the following details of the periodical return for quarter ending..... [March or June or September or December], 20.....

1. Details of certificates issued, rejected, suspended and cancelled during the quarter.

Details	Applications	Accepted or issued	Rejected	Renewed	Suspended	Cancelled
Pending at the beginning of the quarter						
Newly received						
Total						
Cleared during the quarter						
Pending at the end of the quarter						

IndiaCode

2. Number of newly surveyed street vendors and their complete details including name of street vendor, address, place of vending, type of vending, etc.
3. Number of the meetings of the Town Vending Committee held.
4. Details of newly vending areas earmarked, if any, with its holding capacity.
5. Details of social audit done, if any.
6. Details of promotional measures taken for availability of credit, insurance and other welfare schemes of social security for street vendors.
7. Any other information, as directed by the State Government from time to time.

Signature

Commissioner of Municipal Corporation/
Chief Municipal Officer of Municipal Council or Nagar Parishad

FORM -VIII
(See rule 19)

ANNUAL RETURN OF THE TOWN VENDING COMMITTEE

1. Return for the financial year ended
2. Name of the Town Vending Committee filing the return.....
3. Name of the ULB.....
4. Total number of members of the Town Vending Committee
5. Total number of vendor-members in Town Vending Committee
6. Number of Town Vending Committee meetings held during the year.....
7. Is proper record of meetings maintained? Yes / No
8. Has survey of vendors in the town been done? Yes / No

 If yes, when was last survey done?
9. Is a Register of Vendors maintained? Yes/No
10. Was the register of vendors updated during the year? Yes/No
11. Number of registered vendors at the start of the year.....
12. Number of vendors de-registered during the year.....
13. Number of new vendors registered during the year.....
14. Number of registered vendors at the end of the year.....
15. Number of vendor markets in the town.....
16. Number of new vendor markets created during the year.....
17. Number of vendors linked to banking.....
18. Number of vendors who were provided housing.....
19. Number of vendor against whom cases were registered during the year.....
20. Does the Town Vending Committee have a dedicated fund? Yes/No

 If yes, balance in the fund at the end of the year.....
21. Good practices, if any, which the Town Vending Committee would like to share with other Town Vending Committees

 (Attach separate sheet if needed)
22. Date of meeting in which the Annual Return was approved by the Town Vending Committee

Signature and Seal of the Authorized Person

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.